



दश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ

TM

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रौद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम, 2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या -2022/palm/06

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 29 मार्च 2022

आबकारी के अधिकारी ही कर रहे राजस्व में सेंधमारी!!
जयपुर में सबसे अधिक राजस्व देने वालों में शुमार,
मुहाना स्थित शराब की दुकान को पहुंचाया घाटे में!!!
अधिकारियों और बड़े शराब ठेकेदार की पार्टनरशिप
में चल रही यह शराब की दुकान!!!
7(2+5)% की जगह 2% जमा करवाई सिक्योरिटी गारंटी!!!
30 लाख का सीधे लगाया चुना!!!
3-4 लाख रुपए रोजाना की सेल वाली दुकान से नहीं उठ रहा माल,
डेढ़ करोड़ से अधिक की पेनल्टी पुराने ठेकेदार पर और
80 लाख से अधिक की पेनल्टी वर्तमान ठेकेदार पर बकाया!!!
आरएसबीसीएल से खरीदने की बजाय,
शराब ठेकेदार बेच रहा बाहर से खरीद कर माल!!!
आबकारी ने दे रखी बिल्ली को छींके की रखवाली!!!

नयी आबकारी नीति अधिकांश शराब ठेकेदारों के लिए बनी गलफांस, लेकिन कुछ लालची ठेकेदारों के लिए कमाई का सौदा!!!

पिछले साल आबकारी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयी नयी आबकारी नीति के दुष्परिणाम धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं।

पिछले साल नयी आबकारी नीति पर गाल बजाने वाले अधिकारी चालू वित्त वर्ष में,

इस नीति के फ्लॉप हो जाने से नए वित्त वर्ष में बगले झाँकते फिर रहे हैं।

जिसका परिणाम यह है कि पिछले साल करोड़ों रुपयों की बोली लगने से सुर्खियों में आबकारी विभाग को चालू वित्त वर्ष में ठेकेदार ही नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ तो जहां पिछले पूरे साल शराब ठेकेदार नयी आबकारी नीति का विरोध करते हुए धरने प्रदर्शन करते दिखे, वही कुछ लालची ठेकेदार और भ्रष्ट आबकारी अधिकारियों का गठजोड़ इसे अपने निजी फायदे के लिए मिले, मौके के रूप में भुनाता, नजर आया।

जयपुर में सबसे अधिक राजस्व देने वालों में शुमार, मुहाना ग्राम पंचायत की शराब की दुकान को पहुँचाया घाटे में!!!

हम बात कर रहे हैं जयपुर की मुहाना ग्राम पंचायत स्थित सांगानेर सर्किल की शराब की दुकान की। पिछले कई सालों से इस शराब की दुकान का ठेका छुड़ाने के लिए जयपुर के शराब ठेकेदारों में होड़ मची रहती थी। यही कारण रहा कि पिछले साल आबकारी विभाग ने नीलामी के लिए इस दुकान की न्यूनतम रिसर्व प्राइज़ साढ़े छह करोड़ रुपए रखी गयी। जिसे वित्त वर्ष 2021-22 में राजेश कुमार बारी नामक व्यक्ति के नाम से छुड़ाया गया। राजेश कुमार के नाम से इस दुकान का संचालन शिव प्रसाद यादव द्वारा किया जा रहा था। शिव प्रसाद द्वारा ठेका लेने छुड़ाने के समय से ही आरएसबीसीएल से माल उठाने की बजाय बाहर से माल लाकर बेचने के गौरव धंधे में लिप्त था। बताया जाता है

कि शिव प्रसाद को शुरू से ही विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके चलते वह शुरू से ही बेरोकटोक बाहर का माल लाकर बेच रहा था। इस बात का खुलासा भी हुआ है कि वित्त वर्ष 2021-22 में राजेश कुमार बारी के नाम से जयपुर में तीन ठेके क्रमशः मुहाना, दुदु और काचरोदा (फुलेरा) छुड़ाये गए थे, इन तीनों दुकानों के पेटे कुल 7 करोड़ बकाया थे, जिसके चलते नवंबर में आबकारी विभाग द्वारा राजेश कुमार बारी के तीनों लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया।

भास्कर स्वामि • नई आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण के आवेदनों से खुलासा पहली बार: विभाग शराब ठेका देने को राजी, ठेकेदार नहीं ले रहे, 3771 में से 1301 ने ही रिन्यूअल मांगा

आशीष जैन | कोटा

वजह: सरकार ने साल में 40% बढ़ाई गारंटी राशि, बेसिक लाइसेंस फीस भी ज्यादा

शराब से दूर साकी: कोविड के कारण 50% ठेकेदारों को दूसरे काम करने पड़े



वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव विनोद पारेता ने बताया कि दो सालों में कोविड की वजह से ठेकेदार बर्बाद हो गए। सरकार ने मदद करने के बजाय एक साथ 40% गारंटी राशि बढ़ा दी, जबकि हर साल 10% बढ़ाई जाती है। बेसिक लाइसेंस फीस भी ज्यादा बढ़ा दी गई। ठेकेदारों ने जब से पैसा रखकर गारंटी पूरी की है। अब दुकानें चलाना मुश्किल है। दो साल में 50% से ज्यादा ठेकेदारों को दूसरे काम करने पड़ रहे हैं।

जिन शराब की दुकानों के लिए ठेकेदार पूरी मशक्कत करते थे, लॉटरी में शामिल होने तक के लिए लाखों रुपए खर्च करते थे, अब उन्हीं ठेकेदारों का शराब की दुकानों से मोहभंग हो गया है। नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब की दुकानें रिन्यू की जा रही हैं, लेकिन पात्र होने के बावजूद 1301 ठेकेदारों ने अगले वित्त वर्ष के लिए दुकान लेने से मना कर दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार शराब की दुकान देने को तैयार है, लेकिन ठेकेदार लेने को

नहीं। यही वजह है कि ठेकेदारों ने लास्ट डेट तक रिन्यूअल के लिए आवेदन ही नहीं किया। अब इन दुकानों के लिए आबकारी विभाग नए सिरे से टेंडर कर रहा है। असल में 2022-23 के लिए जारी की गई आबकारी नीति के तहत गारंटी राशि

पूरी करने वाले लाइसेंसधारकों को पात्र माना गया है। प्रदेश में 7665 शराब दुकानों के लाइसेंसधारी हैं, इनमें से 3771 ही पिछले साल की गारंटी राशि पूरी कर पाए, ऐसे में कुल में से मात्र 49.20% ही अब दुकान नवीनीकरण के लिए योग्य घोषित किए गए हैं, 3890 को अव्यय घोषित कर दिया गया है। अब योग्य घोषित 3771 ठेकेदारों में से भी मात्र 2470 ने ही रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च तक ही थी।

BREAKING NEWS



Date: 26/03/2022

Jaipur: आबकारी बंदोबस्त की प्रक्रिया चारों खाने चित्त !

प्रदेशभर की कुल 5,161 शराब दुकानें थी ऑनलाइन नीलामी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन 5 दिन में महज 488 दुकानों का ही हो पाया ऑक्शन, 22 मार्च को 1,513 दुकानों में से महज 232 का हुआ ऑक्शन, 23 मार्च को 1,512 दुकानों में से महज 99 का हुआ ऑक्शन, 24 मार्च को 1,522 दुकानों में से महज 105 का हुआ ऑक्शन, अंतिम दिन 25 मार्च को 614 दुकानों में से महज 52 का हुआ ऑक्शन, पहले ही प्रयास में आबकारी नीति के प्रावधानों की खुली पोल

BREAKING NEWS



Date: 25/03/2022

जयपुर शहर में शराब दुकानों की नीलामी में भारी निराशा

कुल 292 दुकानों को रखा था नीलामी में, महज 25 दुकान हो पाई नीलाम, कुल 110 दुकानों का हुआ नवीनीकरण, जयपुर वेस्ट सर्किल में नीलामी में 50 में से उठी केवल 4 दुकानें, 8 का हुआ नवीनीकरण, झोटवाड़ा सर्किल में 45 में से उठी केवल 6 दुकानें, 11 का हुआ नवीनीकरण, जयपुर साउथ सर्किल में 46 में से उठी केवल 3 दुकानें, 13 का हुआ नवीनीकरण, जयपुर ईस्ट सर्किल में 41 में से उठी केवल 3 दुकानें, 12 का हुआ नवीनीकरण, जयपुर नॉर्थ सर्किल में 34 में से उठी 3 दुकानें, 15 का हुआ नवीनीकरण, जयपुर साउथ ईस्ट सर्किल 43 में से उठी 3 दुकानें, 24 का हुआ नवीनीकरण, सांगानेर सर्किल में 33 में से उठी 3 दुकानें, 27 का हुआ नवीनीकरण

अवैध शराब बेचते पकड़ा गया शिव प्रसाद, लाइसेंस निरस्त करने का यह भी रहा कारण।

सितंबर/अक्टूबर माह में शिव प्रसाद यादव 400 पेटी अंग्रेजी शराब की पेटियाँ बगरु की किसी शराब की दुकान से लाते पकड़ा गया, जिसके चलते शिव प्रसाद कई दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहा, वहीं यह दुकान एक महीने के लिए सील रही और आबकारी विभाग द्वारा राजेश कुमार बारी के नाम से चल रही इस दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की यह भी वजह रही। इस समय तक इस दुकान पर आबकारी विभाग के डेढ़ करोड़ रुपए बकाया थे। जिसे आबकारी विभाग आज तक वसूल नहीं कर सका।

Sanganer	Naresh	Shop No 1 G.P.Muhana+G.P.Jagannathpura+G.P.Kapoorwala+G.P.Panwalia	1. MUHANA MANDI GATE NO 1 KE SAMNE, SANGANER JAIPUR	MUHANA GATE NO 1 KE SAMNE MUHANA SANGANER JAIPUR
----------	--------	---	--	--

वर्तमान में विजेंद्र परेवा ठेकेदार द्वारा नरेश नामक सेल्समेन के नाम से चलायी जा रही है यह शराब की दुकान!!!

आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार नवंबर माह में इस दुकान को पुनः नीलामी के लिए लाया गया, जिसे नरेश नामक व्यक्ति के नाम से शहर का मशहूर ठेकेदार विजेंद्र परेवा संचालित कर रहा है। चूंकि नरेश कोई पुराना शराब ठेकेदार ना होकर महज एक सेल्समेन के रूप में इस दुकान पर काम कर रहा है, इसलिए यह जांच का विषय है कि क्या नरेश इस दुकान के बकाया निकालने वाली राशि को जमा करवाएगा या पहले के ठेकेदार की तरह छु-मंतर हो जाएगा? आखिर दूध का जला आबकारी विभाग, छाछ को फूँक-फूँक कर क्यों नहीं पी रहा? आखिर क्यों उसके द्वारा इस दुकान से वसूली के सार्थक प्रयास नहीं किए गए?



3-4 लाख रुपए रोज की सेल वाली दुकान का आंखो-देखा हाल, स्टॉक के नाम पर महज 10-20 हजार का माल

3-4 लाख रुपए रोजाना की सेल वाली दुकान से नहीं उठ रहा माल, 80 लाख से अधिक की पेनल्टी की वसूली बकाया!!!

सूत्रों के अनुसार विजेंद्र परेवा के भी शहर में कई ठेके हैं, जिनकी गारंटीया पूरी नहीं हो रही हैं। यह महाशय भी अपने दूसरे ठेको की शराब इस ठेके से बेच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, 3-4 महीने चली इस दुकान के लिए महज एक या दो बार आरएसबीसीएल से माल कटवाया गया, बाकी माल अन्य दुकानों से लाकर बेचा गया। ठेकेदार की इस करतूत से जहां इस लालची ठेकेदार को करोड़ों का फायदा हुआ, वहीं माल नहीं उठने से इस दुकान पर 80 लाख रुपए से अधिक की पेनल्टी बकाया चल रही है, जिसे अधिकारियों की मिलीभगत से वसूल करने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे और राजस्व की वसूली की जगह ठेकेदार और अधिकारी दोनों मिल कर जम कर चाँदी कूट रहे हैं।



वाहन संख्या RJ14-CZ8218 से इस दुकान में लाया जाता है बाहर का माल

7% की जगह 2% जमा करवाई सिक्योरिटी गारंटी,30 लाख का सीधे लगाया चुना!!!

इस दुकान मे वर्तमान ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत का एक नया खेल सामने आया है।सूत्रो के अनुसार जब इस दुकान की ऑनलाइन सिक्योरिटी गारंटी जमा करवाने की बारी आई तो एक घंटे के लिए आबकारी विभाग का कंप्यूटर/सिस्टम हेंग करवा दिया गया।जिसका लाभ लेते हुए जो सिक्योरिटी गारंटी 7%(2+5) जमा होनी थी,उसे महज 2% जमा करवा कर,सिस्टम चालू कर दिया गया।इस तरह 6 करोड़ की दुकान का जहां 7% के हिसाब से 42 लाख रुपए जमा होने थे,वहाँ महज 2% यानि 12 लाख रुपए जमा करवा कर मामला रफा-दफा करवा दिया गया।इस तरह एक तरह तो आबकारी विभाग को जहां 30 लाख रुपए का चुना लगाया गया वही यह 30 लाख रुपए सीधे सीधे लालची ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की जेब मे चले गए।

अधिकारियों और बड़े शराब ठेकेदार की पार्टनरशिप मे चल रही यह शराब की दुकान!!!

सूत्रो के अनुसार इस शराब की दुकान मे ठेकेदार के साथ जयपुर शहर के तत्कालीन बड़े साहब और छोटी साहिबा के बीच 33.33% की पार्टनरशिप सामने आयी है।इन छोटी साहिबा को वर्तमान मे ही आबकारी विभाग ने नॉन परफ़ोर्मेंस के चलते बाहर का रास्ता दिखाया है।जानकारी के अनुसार,इस खेल मे अपनी कुर्सी बचाने मे सफल रहे शहर के मँझले साहब को 5-7 लाख रुपए देकर खामोश किया गया है।

सूत्रो के अनुसार इस ठेकेदार के गाड़ोता,सांगानेर,दुदु,फागी,रेनवाल,कलवाड़ा,नरसिंहपुरा और अन्य कई जगहो पर शराब के ठेके है और यह जयपुर मे जिला आबकारी अधिकारी रहे एक रिटायर्ड अधिकारी का निकटतम रिश्तेदार भी है।जिसकी धोंस देकर आधे काम तो यह ठेकेदार महोदय फ्री मे ही करवा लेते है।

जवाब मांगते सवाल??

1. इस दुकान के पुराने लाईसेन्सी राजेश कुमार बारी के नाम कितनी पेनल्टी बकाया है?इस बकाया की वसूली के लिए विभाग द्वारा क्या सार्थक प्रयास किए जा रहे है?
2. कौन है यह लाईसेन्सी नरेश?क्या है इसका वजूद?क्या वित्त वर्ष 2021-22 समाप्त हो जाने के बाद आबकारी विभाग इस लाईसेन्सी से पेनल्टी के बकाया लाखो रुपयों की वसूली कर पाएगा?
3. लाईसेन्सी नरेश द्वारा लाइसेन्स फीस के रूप मे कितने रुपए जमा करवाए गए है?क्या यह सही है कि इस दुकान के पेटे 7% की जगह महज 2% जमा करवाए गए है?इस लाईसेन्सी को उपकृत करने वाले अधिकारी कौन है?
4. वर्तमान मे लाईसेन्सी नरेश के विरुद्ध इस दुकान के पेटे कुल कितनी पेनल्टी बकाया है?
5. यदि वर्तमान लाईसेन्सी नरेश विभाग के बकाया करोड़ो रुपयो की भरपाई करने मे नाकामयाब को जाता है तो क्या आबकारी विभाग के पास कोई मेकेनिज़्म है जिससे वह इस दुकान का वास्तव मे संचालन करने वाले शराब ठेकेदार विजेंद्र परेवा से बकाया राशि की वसूली कर सके?
6. विजेंद्र परेवा के जयपुर मे और कितने ठेके है?उन ठेको की बकाया की वर्तमान स्थिति क्या है?
7. शहर मे नरेश जैसे और कितने डमी लाईसेन्सी है,जिनसे ठेका समाप्त हो जाने के बाद विभाग डेला तक नहीं वसूल कर पाएगा?
8. क्या आबकारी विभाग अपने ही भ्रष्ट अधिकारियों,जिनकी मिलीभगत से यह खेल खेला गया,उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही करेगा?
9. इस दुकान के संबंध मे दोनों लाईसेंसियों की वजह से हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?